तात्कालिक साक्षात्कार (वाक इन इंटरव्यू)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, परामर्शदाता के पदों के लिए 6 महीने की अवधि के लिए अल्पकालीन संविदा आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित करती है। इस पद के लिए योग्यता मापदंड तथा अन्य सेवा शर्तें नीचे दी गई हैं: –

विधिक (कानूनी) परामर्शदाता को कार्य पर संलग्न करना
योग्यता मापदंड का विवरण तथा अन्य सेवा–शर्तें
योग्यता मापदंड

1.	पद का नाम	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सेक्टर 10, द्वारका, नई–दिल्ली–110075 में विधिक (कानूनी) परामर्शदाता
2	पदों की संख्या	04
3.	परामर्श सेवा की अवधि	अल्पकालीन संविदा आधार पर – 6 माह
4.	आयु सीमा	परामर्शदाता की अधिकतम आयु सीमा विज्ञापन वाली तिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.	शैक्षिक योग्यता / आवश्यक मानदंड	अनिवार्य : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ विधि स्नातक। • 03 वर्षों के लिए संबंधित बार काउंसिल में पंजीकृत। वांछित:– • कानून में स्नातकोत्तर। • विभिन्न न्यायालयों, सरकार या नियामक प्राधिकरण, न्यायाधिकरणों, आयोगों या किसी अन्य समान मंच में कानूनी कार्य का अनुभव। • एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अनुप्रयोग और • डेटा प्रबंधन का कार्यसाधक ज्ञान। • शिक्षा, वित्त, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.	पारिश्रमिक और अधिकार	• परामर्शदाता को मासिक समेकित पारिश्रमिक 50,000/– रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। • कोई महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं है। • यदि कर्तव्यों के अनुसार बाहरी, घरेलू दौरे होते हैं, तो परामर्शदाता को टीए/डीए और होटल आवास का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार के समकक्ष स्थिति और रैंक के अधिकारियों को स्वीकार्य है।
7.	कर्तव्यों (ड्यूटी) की प्रकृति	• मामलों का सारांश तैयार करना • न्यायनिर्णयन के लिए कानूनी मुद्दों की पहचान। • मामलों पर असर डालने वाले अन्य कानूनों/अधिनियमों की कानूनी सराहना। • माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के उदाहरण और विभिन्न आयोगों के निर्णयों के लिए कानूनी शोध। • रिट याचिकाओं आदि के लिए काउंटर तैयार करना। • मसौदा आदेश तैयार करना। • सौंपा गया कोई अन्य कानूनी कार्य।

<u>अनुलग्नक – 1</u>

विधिक (कानूनी) परामर्शदाताओं की नियुक्ति की विधियां और विचारार्थ विषय (टीओआर) :

1. विधिक (कानूनी) परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए सामान्य शर्तें:

- परामर्शदाता को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि के लिए कार्य पर लगाया जाएगा।
- निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- परामर्शदाता के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रारंभिक कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने का होगा। 6 माह के बाद के विस्तार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर और कार्य निष्पादन के आधार पर विचार किया जाएगा।
- परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी। पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त परामर्शदाता को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी घोषणा या दी गई जानकारी गलत साबित होती है या यदि अभ्यर्थी ने जानबूझ कर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, तो वह किसी भी प्रशासनिक और/या कानूनी कार्रवाई के अलावा समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि रा.अ.शि.प. उचित समझती है।

2. चयन की प्रक्रिया

अभ्यर्थी का चयन नियमानुसार चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। रा.अ.शि.प. के पास आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

3. विवाद की स्थिति :

परामर्शदाता से भारत सरकार के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी। जैसा कि एनसीटीई के अधिकारियों के लिए अपेक्षित है। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यधिक सत्यनिष्ठा, कार्यालय के मामलों की गोपनीयता और ईमानदारी का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि परामर्शदाताओं की सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या सरकार के हितों के विपरीत पाई जाती है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

4. परामर्शदातों की पात्रताः

(i) परामर्शदाता को 50,000 रुपये के मासिक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा तथा कोई महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

(ii) परामर्शदाता यथानुपात आधार पर प्रति माह 1 दिन की छुट्टी के हकदार होंगे।

5. सेवा–समाप्ति सूचना :

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ कानूनी परामर्शदाता द्वारा निष्पादित अनुबंध के किसी भी उल्लंघन को अनुबंध के तहत की गई सेवा की समाप्ति के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा और आगे ऐसे कानूनी परामर्शदाता को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में भविष्य में नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है।

(ii) इसके अन्तर्गत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और/या कानूनी परामर्शदाता 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।

6. रियायत :

अपवादी परिस्थितियों में और मेधावी अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उपरोक्त दिशानिर्देशों में रियायत दी जा सकती है।

7. सत्यापन :

परामर्शदाताओं का पुलिस सत्यापन भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार तात्कालिक साक्षात्कार (वॉक–इन–इंटरव्यू) में शामिल हो सकते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जी –7, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में 02 सितंबर 2021 समय पूर्वा. 11.00 बजे निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नक –2 के अनुसार प्रारूप आवेदन पत्र तथा सभी शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

उपसचिव
प्रशासन
एनसीटीई

अनुलग्नक – 2

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के लिए अनुबंध के आधार पर विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

यहाँ अपना पासपोर्ट आकार फोटो चिपकाएं

1. नाम :

2. जन्म तिथि :

   (कृपया मैट्रिक प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

3. आवेदन की तिथि के अनुसार आयु :

4. लिंग :

5. पता :

6. श्रेणी :

7. फोन नंबर :

8. ई–मेल आईडी :

9. अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि :

10. शैक्षिक योग्यता (यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है तो कृपया एक अलग शीट संलग्न करें) :

क्र. सं.	डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	विश्वविद्यालय / बोर्ड	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत / डिविजन / ग्रेड
नोटः कृपया सीनियर सेकेंडरी से आगे की योग्यता का विवरण भरें				

11. कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण (यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है तो कृपया एक अलग शीट संलग्न करें)

क्र.सं.	कार्यालय / संस्थान	धारित पद	से	तक	की गई ड्यूटियों की प्रकृति

12. विधि पत्रिकाओं में प्रकाशन की सूची :

13. पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण, यदि कोई हो :

14. पिछले परामर्श का विवरण, यदि कोई हो :

15. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में करना चाहेंगे। यदि आवश्यक हो, तो एक अलग शीट संलग्न करें :

दिनांक :

स्थान

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं .... घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही और पूर्ण है। मैं, ...यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने विज्ञापन के साथ संलग्न राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के लिए विधि(कानूनी) परामर्शदाता की नियुक्ति की विधियों और सेवा शर्तों (टीओआर) को अनुबंध –1 के रूप में पढ़ लिया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान :